प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 30 मार्च, 2024**

विषयः- **मैसर्स एस0पी0के0एन0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, प्लाट नं0-सी-2/5, ग्रोथ सेण्टर, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, जैमोर, जनपद-शाहजहांपुर के ग्लूकोज माल्टोडकस्ट्रिन तथा ग्लूटीन निर्माण इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0-443.33 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-217.23 लाख (रूपया दो करोड़ सत्रह लाख तेइस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-1171/2023-24/, दिनांक-28.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2 उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 हेतु शासनादेश दिनांक 30.08.2023 द्वारा 27-सब्सिडी मद में रू0 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) एवं शासनादेश दिनांक-29.03.2024 द्वारा 27-सब्सिडी मद में रू0 2327.89 लाख (रूपया तेईस करोड़ सत्ताईस लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-133/58-2-2023-04/2022, दिनांक-24.02.2023 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकः 10.10.2024 को **मैसर्स एस0पी0के0एन0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, प्लाट नं0-सी-2/5, ग्रोथ सेण्टर, यू0पी0एस0 आई0डी0सी0, जैमोर, जनपद-शाहजहांपुर के ग्लूकोज माल्टोडकस्ट्रिन तथा ग्लूटीन निर्माण इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स एस0पी0के0एन0 इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, प्लाट नं0-सी-2/5, ग्रोथ सेण्टर, यू0पी0एस0 आई0डी0सी0, जैमोर, जनपद-शाहजहांपुर के ग्लूकोज माल्टोडकस्ट्रिन तथा ग्लूटीन निर्माण इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु शासनादेश संख्या-125/2024/303/58-2-2024-600(9)/2024, दिनांकः 12.03.2024 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रू0-221.665 लाख निर्गत की जा चुकी है तथा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-217.23 लाख (रूपया दो करोड़ सत्रह लाख तेइस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-06/2023/84/58-2-2023-4/2022, दिनांक-02.02.2023 एवं शासनादेश संख्या-32/2023/293/58-2-2023-4/2022, दिनांक-11.04.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किश्त की धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित इकाई का स्थलीय निरीक्षण एवं प्रगति का निरीक्षण निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2024 तक उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि दी जा रही है, तथा चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित पूर्ण व्यय विवरण आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक: 17.03.2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-157/2024/360(1)/58-2-2024, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, **शाहजहांपुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) संबंधित संस्था।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in